न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रा0पत्र मिथ्या व मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया जाता है। पीठासीन अधिकारी किसी भी पक्षकार से मिला हुआ नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवहेलना करने पर स्थगन आदेश की पालना करवाने मौके पर गये थे। जिसकी फोटो ग्राफ भी लिये गये थे। प्रार्थी का प्रा0पत्र मिथ्या व मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण को यदि किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी का प्रा0पत्र मिथ्या व मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया जाता है। पीठासीन अधिकारी किसी भी पक्षकार से मिला हुआ नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवहेलना करने पर स्थगन आदेश की पालना करवाने मौके पर गये थे। जिसकी फोटो ग्राफ भी लिये गये थे। प्रार्थी का प्रा0पत्र मिथ्या व मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला(राजस्थान) अलवर

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/231/2022	2022/375	01.09.2022	18.11.2022

1. पोहकर पुत्र गुल्ला जाति माली निवासी ग्राम ढाणी पुरसीवाला तन रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र फकीरा माली
2. मामली पुत्री फकीरा माली
3. सुमन पुत्री फकीरा माली
4. लाली पत्नी फकीरा माली निवासीयान ग्राम ढाणी पुरसीवाला तन रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01. श्री जितेन्द्र गोपालिया —वकील प्रार्थी
02. श्री रविन्द्र सिंह सैनी —वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन बअनुवान राजेन्द्र बनाम फकीरा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.08.2022 को अपने गांव में मिन प्रार्थी से ऐलानिया कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गयी है और हम हमारे अनुसार निर्णय करा लेंगे। अप्रार्थीगण को कई बार न्यायालय समय में पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है। पीठासीन अधिकारी भी बिना किसी न्यायालय के आदेश से मौके पर जाते रहते है और प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में राजीनामा के बाबत धमकाते है। अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी अप्रार्थीगण से मिला हुआ है। पीठासीन अधिकारी कुछ दिन पहले मौके पर गये थे जिनकी फोटो भी प्रार्थी द्वारा खिंचवाई गयी है। मिन प्रार्थी को पहले ही इस बात का शक था परन्तु अप्रार्थीगण की ऐलानिया कहने के बाद पुरा विश्वास हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से साज—बाज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब व दौराने बहस निवेदन किया कि यह कहना गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में फैसला करने की गरज से नजदीकी तारीख पेशीयां दी जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.08.2022 को गांव में प्रार्थी से कोई ऐलानिया नहीं कहा कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गयी हो। तमाम तथ्य झूठे व मनगढंत है। प्रार्थी द्वारा मुकदमें में देरी करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मुंतकिल कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य भी गलत दर्ज किया गया है कि मिन अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते—जाते है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल निरस्त फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, अलवर